न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 38/2025

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. छोगाराम पुत्र चिमनाराम 2. श्रीराम पुत्र चिमनाराम 3. सुखाराम पुत्र चिमनाराम 4. मांगीलाल पुत्र मीराराम 5. भाकरराम पुत्र मीराराम 6. भींयाराम पुत्र कासुराम (जाति विश्नोई, निवासी ग्राम फींच तहसील लूणी, जिला जोधपुर)		राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार लूणी, जिला, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर) राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं0 09/2023 दिनांक 10.06.2024

उपस्थित–
1. श्री लाधूराम पूनिया, वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 11 .12.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा अंतर्गत धारा 131, 136 आरएलआर, एक्ट के तहत अपीलांट–प्रार्थी के राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं0 09/2023 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट–प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की पैतृक खातेदारी भूमि तहसील लूणी के ग्राम फींच के खसरा नम्बर 103 की आयी हुई है। जिसका आपसी सहमति से बंटवाडा अनुसार सभी काबिज काश्त है व हिस्सेनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण दर्ज है। बाद बंटवाडा ऑनलाईन रेकर्ड में ख0नं0 103 की वास्तविक स्थिति में भिन्नता है। ख0नं0 103 जो कि रेकर्ड में एक जगह दर्शाया गया है, मौके पर दो जगह स्थित है, जिसे वास्तविक स्थिति के अनुसार दुरस्त करने हेतु आग्रह किया गया। जिसे तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट कमांक 992 दिनांक 3.4.24 में उल्लेखित

"कि ना0क0सं0 332/01.03.1979 व ना0क0सं0 1217/30.01.2013 विभाजन के अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम सही होने से" खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–प्रार्थी ने राज. भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे न्याय हित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान्न सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया कि ग्राम फींच के मूल ख0नं0 103 रकबा 20.11 बीघा भूमि प्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी की थी, जिसका आपसी सहमति से जरिये ना0क0सं0 332 दिनांक 01.03.1979 को विभाजन हुआ। उक्त विभाजन के ना0क0 की पुश्त पर गलती से नक्शा नही बनाया गया। इसके बाद अपीलार्थी भाकरराम, मांगीलाल पिता मीराराम के हिस्से में रखे गये ख0नं0 103/2 रकबा 6.17 बीघा का इनके बीच हुए विभाजन का ना0क0सं0 1227 दिनांक 30.01.2013 दर्ज किया गया, जिसकी पुश्त पर भी गलती से नक्शा नही बनाया गया। उसके बाद राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो विभाजन के नक्शें तैयार किए गये, वे मौका–कब्जे की जांच किए बिना एवं मौके के विभाजन के खिलाफ तैयार कर दिये गये तथा ख0नं0 103 को नक्शें में दो जगह बना दिया गया। जिसकी जानकारी होने पर उक्त खसरे का नक्शा, मौका विभाजन कब्जे के अनुसार दुरस्त करने का आग्रह किया गया। प्रकरण में तहसीलदार लूणी से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें मौके पर नक्शा विभाजन कब्जे के अनुसार नही पाये जाने तथा ख0नं0 103 का नक्शें में दो जगह दर्ज पाये जाने व जमाबंदी में 103 एक जगह दर्ज होने से, दुरूस्ती के लिए नामान्तरकरण की अपील किए जाने की अनुशंषा की गई। जिस पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो न्याय एवं अभिलेख के विपरित होने से निरस्त योग्य है। नक्शें की त्रुटी को दुरस्त करने के प्रावधान आरएलआर एक्ट की धारा 131 व 136 में प्रदत्त है। जिस ना0क0 की अपील की अनुशंषा की गई है, उक्त ना0क0 में तहसीलदार की रिपोर्ट में त्रुटी होना नही माना है। मौका जांच रिपोर्ट में विवादित भूमि का नक्शा त्रुटीपूर्ण होना मानते हुए, सही नक्शा

दर्शाया गया है, जिसे दुरस्त किए जाने का आदेश पारित किया जाना चाहिए था। जबकि केवल तकनिकी कारण के आधार पर, विभाजन के ना0क0 की अपील के बिना उक्त नक्शा त्रुटी दुरस्त नही कर, प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का आग्रह किया गया।

जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि आलौच्य प्रकरण में अप्रार्थी–तहसीलदार लूणी की मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। जो जरिये पत्रांकः भू.अ./24/992 दिनांक 3.4.24 को प्रस्तुत हुई। उक्त रिपोर्ट में उल्लेखित है कि नामान्तरकरण संख्या 332/01.03.1979 एवं 1227/30.01.2013 विभाजन के अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, परंतु मौके पर खातेदार पटवारी रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शें अनुसार काबिज है। अतः प्रकरण राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 136 का नही होकर, विभाजन के ना0क0 अपील अंतर्गत किया जाना उचित है, इस तकनिकी आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जो विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अपीलांट बंटवाडा आदेश की पालना में यदि राजस्व रेकर्ड में कोई त्रुटी होना मानता है, तो उसके विरूद्ध चाराजोही हेतु स्वतंत्र है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर) द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना संख्या 09/2023 बअनवान छोगाराम वगैरा बनाम राज0 सरकार में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11-12-25 . को खुले न्यायालय सुनाया गया।

11/12/25.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर